

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक: 18.04.2021

आदेश

विषय : कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिशा-निर्देश।


राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, कोविड-19 के दूसरी लहर के प्रसार व बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान राज्य में आने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका URL <http://emitra.rajasthan.gov.in> है।

राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट इस पोर्टल पर मांगी गयी सभी सूचनाओं के साथ अपलोड करनी अनिवार्य है।

जिला प्रशासन तथा विभागीय अधिकारियों को इस पोर्टल के माध्यम से अपने जिलों में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं :-

1. sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपनी Govt. SSO ID से लॉगइन करे, ओपन हुए पोर्टल पर "COVID19 STATISTICS" एप्लीकेशन को ओपन करें।
2. एप्लीकेशन के ओपन हो जाने पर "VISUAL ANALYTICS" मेनू में "REPORT/STATISTICS" क्लिक करे।
3. आगन्तुकों की जिलेवार सूचना देखने के लिए "0-INWARD" पर क्लिक करे।

प्राप्त रिपोर्ट्स के आधार पर प्रशासन कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव